161

संख्याः /VII-2-16/111–एम0एस0एम0ई0/2015

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग **देहरादूनः दिनांकः 10 जून, 2016**

विषयः वित्तीय वर्ष 2016–17 में "विपणन विकास सहायता" (एम0डी0ए0) में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31.03.2016, तथा उद्योग निदेशालय के पत्रांकः–590/उ0नि0(दो)/आयोजनागत/बजट मांग/2016–17 दिनांक 20.05.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–23 के अंतर्गत **"विपणन विकास सहायता" (एम0डी0ए0) योजना** के अंतर्गत लेखानुदान द्वारा प्राविधानित धनराशि **₹ 33.33 लाख में से प्रथम चरण में ₹13.33 लाख** की धनराशि संलग्न **ॲलाटमेंट आई0डी0** के अनुसार निम्न प्रतिबंधों/शर्तों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारियों को स्वीकृत धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से साफ्टवेयर द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें। स्वीकृत धनराशि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में आहरित एवं व्यय की जायेगी।

(ii) वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(iii) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31.03.2016 में इंगित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा।

(v) स्वीकृत धनराशि के व्यय के अनुरूप लाभार्थियों द्वारा संचालित योजनाओं का विस्तृत विवरण एवं लाभार्थियों की सूची माहवार शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी तथा लाभार्थियों से प्राप्त धनराशि का विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vi) स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2017 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखा शीर्ष–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 105–खादी ग्रामोद्योग, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 0102–विपणन विकास सहायता (एम0डी0ए0), 50–सब्सिडी मद के नामे डाला जायेगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अ0शा0सं0:– 170/XXVII(2)/2016 दिनांक 07 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नकः–ॲलाटमेंट आई0डी0।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1042(1)/ VII-2-16/111–एम0एस0एम0ई0/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओवराय विल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपालपानी, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, Small & Medium Scale Industry (S066)

आवंटन पत्र संख्या - .

अलोटमेंट आई डी - S1606230077

अनुदान संख्या - 023

आवंटन पत्र दिनांक -07-Jun-2016

HOD Name - Director Industries (2052)

1: लेखा शीर्षक 2851 - ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 00 -

105 - खादी ग्रामोद्योग 01 - विपणन विकास सहायता (एम०डी०ए०)

02 -

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
50 - सब्सिडी	0	1333000	1333000
	0	1333000	1333000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1333000